

नगर परिषद खैरखल द्वारा सक्षम स्वीकृत ठेकेदारों से नगर परिषद खैरखल में निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रथम में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से वेबसाइट <http://eprocr.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। सफल कार्यों की घोषणा शीघ्र ही नगर परिषद खैरखल के वेबसाइट पर प्रकाशित होगी। नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका में पंजीकृत सक्षम संवेदक द्वारा 1/2 प्रतिशत शीघ्र एवं अन्य सक्षम संवेदकों द्वारा 02 प्रतिशत शीघ्र पुष्क-पुष्क रूप में जारी RTGS/NEFT आयुक्त नगर परिषद खैरखल के नाम से परिषद कोष में जमा करानी होगी। आर.टी.टी.पी की शर्त मान्य होगी एवं अन्य शर्तें कार्यालय समय में देवी जा सकती है।

क्रम सं०	निविदा की क्रम संख्या	ऑनलाईन निविदा विकल्प/आवतल/अपलोड करने की दिनांक व समय	ऑनलाईन निविदा खोलने का दिनांक व समय	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि
01	क्रमा संख्या 01	दिनांक 27/05/2022 को अपराह्न 12.55.00 बजे से	दिनांक 05/06/2022 को अपराह्न 12.55.00 बजे तक	05/06/2022 को प्रातः 10 बजे से

क्रम सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	घरोहर शीघ्र	निविदा शुरू	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	नगर परिषद क्षेत्र में स्टीट लाइट सजवाई व लगाने का कार्य	4988190.00	99800	1000/-	02 माह

निविदा की सामान्य शर्तें-

1. निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण <http://eprocr.rajasthan.gov.in/sppp.raj.in> पर देखा जा सकता है। संवेदक द्वारा नगर परिषद कार्यालय में निविदा विकल्प लिखे में किसी भी कार्यावधि को 11.00 से 2.00 बजे तक निविदा प्रथम को देखा जा सकता है।

2. MD Risk प्रोसेसिंग शुल्क शीघ्र 500/- रुपये अलग से देय होगी।

3. ऑनलाईन निविदा की पुष्क-पुष्क घोषणा शीघ्र व निविदा शुरू का RTGS/NEFT आयुक्त नगर परिषद खैरखल के नाम ऑनलाईन निविदा फर्म विकल्प, आवतल/अपलोड करने की आदिम दिनांक तक का ही स्वीकार्य होगा। निविदावला को UTR no. (Unique Transaction Reference Number) & Bank Statement की प्रमाणित प्रति भी जिसमें प्रत्येक कार्य की पुष्क-पुष्क अमानत शीघ्र, निविदा शुरू एवं प्रोसेसिंग शुल्क (MD Risk) का भुगतान आयुक्त नगर परिषद खैरखल के नाम किया जाकर फर्म के बैंक खाते पर जमा कराने के लिए आवश्यक बैंक स्टेटमेंट सहित निविदा के साथ अपलोड करना होगा तथा लेटरहेड निविदा दिनांक से पूर्व नगर परिषद खैरखल की ई-मेल आईडी nagarपालिकाखैरखल@gmail.com पर भिजवना होगा। नगर परिषद खैरखल का खाता विवरण निम्न प्रकार है-

Name of Bank – HDFC BANK

Branch – Khairthal

IFSC Code. – HDFC0004150

Ac. no. – 50100704725742

संवेदक को विद्युत विभाग में E2 & above श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रति संलग्न करनी होगी।

संवेदक को विद्युत विभाग में ए/बी श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रति संलग्न करनी होगी।

निविदावला को निविदा के साथ फर्म सिक्यूरेशन, जीएसटी पंजीकृत, पेन कार्ड की प्रति, पी.एफ. और ई.एस.आर. विभाग में पंजीकृत की प्रति लगानी होगी।

निविदा में उपयोग में आने वाला सामान ISO, ISI certified होना चाहिए।

राजस्थान लोक उद्योग में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना करनी होगी।

ठेकेदार को "contractor labour regulation and abolition Act, 1970 & Rule, 1971" की पालना करनी होगी।

ई-बोली प्रथम दो भागों में है। प्रथम भाग तकनीकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड है। बोलीवला द्वारा तकनीकी बिड हेतु यह प्रथम मध्य संलग्न व बाधनीय दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए (मध्य सील) eproc पोर्टल पर अपलोड करनी है। वित्तीय बिड ऑनलाईन BOQ में ही प्रस्तुत की जानी है। इससे निम्न रूप में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। वित्तीय दर वाला बिड डॉक्यूमेंट केवल उन्हीं फर्मों का खोला जाएगा, जिन्हें कमेंटी द्वारा तकनीकी बिड डॉक्यूमेंट में योग्य समझा जायेगा।

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

11. निविदावला निविदा शीघ्र की 200 प्रतिशत अथवा नियमानुसार अमानता शीघ्र जमा करना अनिवार्य होगा। प्रक्रियाधीन घोषणा पत्र व निविदा दस्तावेज की हार्ड कॉपी फर्म द्वारा निर्धारित समय, दिनांक पर कार्यालय में जमा करानी होगी।

12. उपरोक्त शर्तों का कार्य में एल.ई.डी.कॉन्ट्रैक्ट की दोषनिवारण अवधि 5 वर्ष एवं अन्य सामग्री की 2 वर्ष रहेगी।

13. संवेदक को किसी भी राजकीय संस्था विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन अथवा उपक्रम में वर्तमान में कार्य-लिस्ट/डी-बार अथवा डिफाल्टर घोषित नहीं किया होना चाहिए इस संबंध में 100 रुपये के नॉन-रिफंडेबल स्टाम्प पेपर पर नोटिस से प्रमाणित शपथ-पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

14. फर्म का नाम एवं पता मध्य टेलीफोन नम्बर, फर्म की स्थिति(एककी)/पार्टनरशिप/प्रा.लि. आदि का विवरण संलग्न करना होगा। साथ ही फोन नंबर, फर्म का पता, निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।

15. फर्म का जीएसटी विभाग द्वारा जारी जीएसटी सांकेतिक मध्य नशीलम जीएसटी रिटर्न प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

16. संवेदक को किसी भी राजकीय विभाग अथवा राजकीय उपक्रम में समान प्रकृति के कार्यों में नए एक वर्ष निमानुसार संचालित कार्य जिसका अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा-

17. एक कार्य की अनुमानित लागत का 80% के बराबर पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

18. दो कार्य जिनमें प्रत्येक कार्य की अनुमानित लागत का 50% के बराबर पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

19. दो कार्य जिनमें प्रत्येक कार्य का अनुमानित लागत का 40% के बराबर पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

20. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त/प्रशासक/उपानयन समिति नगर परिषद खैरखल का होगा एवं प्रसिद्ध विनिर्माता लाईट में ऑफिशियल, जीई, लाईटसाइजिंग, शेडलर, हैबेस, एचपीएल ट्रांसफॉर्मर आदि कमप्लियों से ऑथोराइजेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा एक विनिर्माता से एक ही ऑथोराइजेशन मान्य होगा।

21. राज्य सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग(MSMEs) को प्रोत्साहन देने हेतु जारी वित्तीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अंतर्भूत उक्त कार्य हेतु संवेदक को निविदा में भाग लेने हेतु फर्म का राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम में पंजीकृत का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

22. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना जैसा अधिकारी को लिखित में आपूर्तिकर्ता/सेवादाता ठेकेदार द्वारा दी जानी तथा इस परिवर्तन से संबंधित के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म को पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।

23. निविदा की शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्तन करने का अधिकार आपसी सहमति से नगर परिषद खैरखल को होगा। लेकिन यह निविदा प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व होना चाहिए तथा निविदा के कुल समय का 50% समय से पूर्व अपलोड होना चाहिए।

24. निविदावला द्वारा दी जाने वाली दस्तावेजों को मुक्त नहीं किया जायेगा।

25. फर्म के बिलों से नियमानुसार आयकर/जीएसटी कटौती भुगतान करते समय की जायेगी।

26. यदि निविदा-दस्तावेज किसी कोयदेश की पूर्ति समय पर नहीं कर पावे अथवा आदेशों की अवहेलना करता है, या आदेशों को लेने से मना करता है, तो 5000/-रु. प्रतिदिन की दर से जुर्माना आगामी होने वाले भुगतान शीघ्र में से काटा जायेगा।

27. कार्य की आवश्यकता को देखते हुए दूरस्थ एवं क्राइसिस पर भी आदेश दिये जा सकते जो ठेकेदार को मान्य होंगे। इसकी प्रुष्टि में बाद में आदेश जारी किये जा सकते।

28. ठेकेदार के ठेके को निरस्त करने की अवस्था में नगर परिषद खैरखल द्वारा ठेकेदार की घोषणा शीघ्र जमा कर लेने हेतु उचित एवं आवश्यक समझौते पर निविदा में भाग लेने वाली अन्य फर्मों से प्रथम निविदावला (वर्तमान ठेकेदार) को अनुमोदित दस्तों पर कार्य करने की सहमती लेकर कार्य कराय जा सकता, जो शेष अवधि के लिए होगा।

29. इस प्रकार से उत्पन्न समस्त विवादों तथा इस प्रकार के निर्वाहन से संबंधित समस्त प्रश्न नगर परिषद खैरखल द्वारा निर्णीत किये जायेंगे और नगर परिषद खैरखल का निर्णय अंतिम होगा।

30. सिविल विवाद की स्थिति में स्थानीय सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार होगा।

31. राज्य सरकार व नगर परिषद खैरखल द्वारा समय समय पर जारी आदेश निर्देशमान्य होंगे।

32. साथ ही ई-मेल तथा मोबाईल नम्बर देने जरूरी होंगे।

33. संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में अनुबन्ध को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है तथा प्राम्ति शीघ्र जमा कर ली जायेगी।

34. यदि किसी निविदावला द्वारा उक्त कार्य के लिए अथवाकारिक दस्त प्रस्तुत की जाती है तो उस निविदावला को असफल समझते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तों पर विचार नहीं किया जायेगा।

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.


60.

61.

62.

63.

32. कार्य की आवश्यकता अनुसार अनुमानित लागत को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
33. निविदादाता दरों की वैधता अवधि खोले जाने की दिनांक से 90 दिवस तक अनुमोदन हेतु मान्य होगी।
34. उक्त निविदा नगर परिषद की वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in/sppp.raj.nic.in> पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।
35. कार्यालय द्वारा निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है जिसकी **Corrigendum** तैयार कर वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in/sppp.raj.nic.in> पर अपलोड किया जावेगा। संवेदक द्वारा निविदा दिनांक से पूर्व आवश्यक संशोधन अन्तिम समय तक जॉच कर निविदा में भाग लिया जावेगा।


आयुक्त
नगर परिषद खैरथल
दिनांक:- 27/05/2028

क्रमांक :- 1132-35

प्रतिलिपी :-

1. प्रबन्धक राजस्थान संवाद, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को स्थानीय समाचार पत्र के आगामी अंक में न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर बिल की तीन प्रतियाँ उपलब्ध करावे।
2. शाखा प्रमारी , निर्माण शाखा को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को <http://eproc.rajasthan.gov.in/sppp.raj.nic.in> पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
3. लेखा शाखा, नोटिस बोर्ड नगर परिषद खैरथल।
4. कैश शाखा नगर परिषद खैरथल को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वह टैण्डर बॉक्स तैयार रखे तथा निविदादाताओं से टैण्डर, टैण्डर बॉक्स में डलवाया जाना सुनिश्चित करें या EMD व अन्य दस्तावेज नियमानुसार जमा करें।


आयुक्त
नगर परिषद खैरथल